कश्मीर संघर्ष में महिलाओं की प्रस्थित–पीड़ित के रूप में
(As a Victim–Women's Status in Kashmir Conflict)

हरीश कुमार यादव
शोध छात्र
राजनीतिशास्त्र विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालयए इलाहाबाद

पितृसत्तात्मक समाज में महिलाएं हमेशा ही पुरूषो से कमतर मानी जाती हैं अथवा एक प्रकार से वह अस्तित्वहीन जीवन जीती हैं।

"यहाँ तक की प्राचीन ग्रीक एवं रोमन दार्शनिक भी इस पितृसत्ता सम्बन्धी विचारों का समर्थन करते हैं। महान ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के विचारों में 'पुरूष प्राकृतिक रूप से श्रेष्ठ है और महिलाएं, बच्चे तथा दास पदसोपान की दृष्टि से पुरूष के अधीन है।'[1]

अब ऐसे समाज में जहाँ सहज ही यह मान्यता स्वीकृत है कि महिलाएं पुरूषो के अधीन हैं वहां महिलाओं की प्रस्थित के विषय में अनुमान लगाया जा सकता है। विशेषकर तब जब वह क्षेत्र किसी सशस्त्र संघर्ष (सशस्त्र) से जूझ रहा हो तब वहाँ महिलाओं की प्रस्थित के बारे में सहज ही कल्पना की जा सकती है।
इस आलेख का मूल उद्देश्य कश्मीर में व्याप्त संघर्ष में महिलाओं की भिन्न–भिन्न प्रस्थित एवं इस संघर्ष के फलस्वरूप उनपर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना है।

कश्मीर संघर्ष–एक संक्षिप्त परिचय–

'कश्मीर संघर्ष की जड़ें औपनिवेशिक काल से जुड़ी हैं जब ब्रिटिश सरकार ने कश्मीर को 75 लाख रूपये में हिन्दू डोगरा महाराजा गुलाब सिंह को 1846 की अमृतसर की संधि के अन्तर्गत बेच दिया था।'[2]

1947 में स्वतंत्रता के पश्चात् कश्मीर संघर्ष भारत एवं पाकिस्तान के मध्य तनाव का नतीजा है। किन्तु पिछले ढाई दशकों में इस संघर्ष में ज्यादा तीक्ष्णता आई है।

''सीमा काजी कश्मीर संघर्ष को मुख्यतः दो भागो में बांट कर देखती है, पहला भाग जो 1989 से 1990 के मध्य का काल था। यह भाग असंप्रदायिक व उदारवादी संघर्ष का काल था जिसमें जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जैसे गुटों का दबदबा था। ये गुट कश्मीर की आजादी के प्रति प्रतिबद्ध थे। दूसरे भाग में हिजबुल मुजाहिद्दीन और लश्कर–ए–तोएबा जैसे रूढ़िवादी समूहों के आते ही संघर्ष का स्वरूप बदल जाता है और हिंसा का एक दौर निकल पड़ता है।'[3] 'इस क्षेत्र में आतंकियों को पाकिस्तान द्वारा खुला समर्थन दिया जाता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में भारतीय सैन्य बलों का भारी सैन्य जमावड़ा है। किन्तु इन सब सशस्त्र विद्रोहों के बावजूद, भारत सरकार ने इस क्षेत्र को अधिकारिक रूप से संघर्षरत क्षेत्र घोषित नहीं किया है।'[4]

कश्मीर संघर्ष में महिलाओं की प्रस्थित–पीड़ित के रूप में
(As a Victim–Women's Status in Kashmir Conflict)-'कश्मीर संघर्ष की सबसे पीड़ित पक्ष महिलाएँ ही हैं।'[5] यौन हिंसा, शारीरिक हिंसा की सबसे ज्यादा शिकार महिलाएँ ही होती है। 'यह महिलाएँ दोतरफा हिंसा झेलती हैं क्योंकि इनके प्रति हिंसा करने वाले में सैन्यबलों के जवान भी होते हैं तथा आतंकवादी भी।'[6]

1989 के जनविद्रोह को दबाने के बाद भारत सरकार ने इस क्षेत्र में अपने लाखों जवानों को तैनात किया है। इन जवानों को नागरिक कानूनों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अफस्पा (AFSPA-Armed Forces Special Powers Act.)जैसे कानून द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है। 'यह कानून सैन्यबलों को नागरिक कानूनों से सुरक्षा प्रदान करने के साथ–साथ कई विशिष्ट शक्तियाँ भी प्रदान करता है जिसकी परिणिती घाटी में मानवाधिकारों के उल्लंघन के रूप में हुई है।'[7]

विशेषकर महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा इस संघर्ष का सबसे मार्मिक पक्ष है। बलात्कार, शोषण, देह–व्यापार, जबरन विवाह महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा का अंग है। ''Half Widow शब्द की उत्पत्ति कश्मीरी संघर्ष की ही उपज है। Half Widow शब्द का जन्म घाटी में उन महिलाओं के लिए किया जाता है जिनके पतियों को जांच के नाम पर सेना ने अपनी हिरासत में ले तो लिया था किन्तु अर्सा बीत जाने के बावजूद न तो उनके जीवित होने का प्रमाण मिला और न ही उनके मृत होने की पुष्टि की गई। इस संघर्ष के प्रभाव को समझने व जानने के लिए कई सर्वेक्षण, अध्ययन किये गये तथा यह बताया गया कि इस संघर्ष के प्रभाव महिलाओं में शारीरिक

[1] http://southasiajournal. net/**Conflict-and-women-a-study-of-Kashmir-valley** (acesed on 17.02.2018)
[2] http://southasiajournal. net/**Conflict-and-women-a-study-of-Kashmir-valley** (acesed on 17.02.2018)
[3] Kazi ***Seema, "Between Democracy & Nation: Gender and Militarisation in kashmir"***, Women Unlimited, 2009, P. 140
[4] Thakur Seema, "***Women, Peace and Security: Implementation of the UNSCR 1325 in South Asia"***, Regal Publication , 2015 New Delhi, P-147
[5] Ibid, P-149
[6] http://southasiajournal. net/**Conflict-and-women-a-study-of-Kashmir-valley** (acesed on 17.02.2018)

[7] http://southasiajournal. net/**Conflict-and-women-a-study-of-Kashmir-valley** (acesed on 17.02.2018)

एवं मानसिक क्षमता को नकारात्मक रूप में प्रभावित कर रहे हैं। वे कई प्रकार की समस्याओं यथा अवसाद, तनाव, गर्भपात, मानसिक आघात आदि की समस्या से जूझ रही है।

आधी विधवा (Half Widow)-

घाटी में व्याप्त सशस्त्र संघर्ष ने इस क्षेत्र की महिलाओं में एक पृथक महिलाओं के वर्ग को जन्म दिया है जिन्हें आधी विधवा (Half Widow) कहा जाता है।

आधी विधवा (Half Widow) वो महिलाएँ हैं जिनके पतियों को पूछताछ व अन्य कारणों से गिरफ्तार तो किया गया किन्तु आज तक व अपने घर वापस नहीं आए न तो इन लोगों के जीवित होने के प्रमाण इनके घरवालों को दिये गये और न ही इनके मृत होने की पुष्टि की गई।

'आधी विधवा (Half Widow) की इस प्रस्थित का असर न केवल उनकी मानसिक अपितु आर्थिक, सामाजिक एवं कानूनी प्रस्थित को भी प्रभावित करता है।'[8]

कश्मीर का समाज भी परम्परागत पितृसत्तात्मक समाज है जहाँ घर के जीविकोपार्जन की जिम्मेदारी घर के पुरूष की होती है। ऐसे में क्षेत्र में व्याप्त संघर्ष में अपने पतियों को खोने वाली महिलाएँ अपने व अपने परिवार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करती हैं जहाँ उन्हें समाज में मौजूद लैंगिक भेदभाव (Gender Discrimination) का सामना करना पड़ता है। कई बार यह भेदभाव से बढ़कर शोषण व हिंसा का रूप भी धारण कर लेता है।

इन सब परिस्थितियों के बीच नई भूमिका के लिए तैयार होना एवं चुनौतियों का सामना करना इनके लिए दुष्कर होता है क्योंकि हर स्तर पर यह स्वयं की अस्पष्ट प्रस्थित से जूझती है।

इन महिलाओं (Half Widows) की कमजोर आर्थिक प्रस्थित का कारण उनकी विवादित कानूनी प्रस्थित भी हैं। 'इनके पास अपने पतियों की मृत्यु की पुष्टि सम्बन्धित दस्तावेज नहीं होते हैं जिसके कारण इन्हें' (क) पति के सम्पत्ति में भाग नहीं मिलता (ख) विधवा पेंशन (ग) संघर्ष में पीड़ितों को मिलने वाली विशेष सहायता राशि से वंचित होना पड़ता है।[9]

सरकार की तरफ से मिलने वाली सहायता राशि भी प्रशासनिक कुप्रबन्धन से ग्रस्त होती है। इन सब समस्याओं से जूझने के बाद भी जो चीज इनके लिए विडम्बनापूर्ण है 'वह यह कि यह महिलाएँ आजीवन इस कलंक के साथ जीवन जीने के लिए अभिशप्त हैं कि इनके पति 'मुखबिर' थे। ऐसी महिलाओं के साथ समाज की औपचारिक संवेदना भी नहीं होती है।'[10] लोग इन्हें भी संदेह की दृष्टि से देखते हैं।'

आधी विधवा (Half Widows) की ऐसी प्रस्थित उनकी मानसिक क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। वे अपनी मनोदशा से खुद ही जूझती हैं। Half Widows अपने अनिश्चित भविष्य की चिंता, भय के माहौल में जो जीवन जीती हैं उसका प्रत्यक्ष प्रभाव उनकी शारीरिक व मानसिक क्षमता पर पड़ता है। अधिकांश Half Widows में तनाव, अवसाद, मानसिक आघात, घबराहट के लक्षण पाये जाते हैं।

उपरोक्त ''सभी मानसिक मनोदशा का प्रभाव महिलाओं एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहारों पर भी पड़ रहा है जिसके कारण घरेलू हिंसा की दर में भी वृद्धि हुई है।''[11]

बलात्कार–

''जहाँ भी युद्ध व संघर्ष होते हैं वहाँ बलात्कार एवं यौन हिंसा के मामले होना भी स्वाभाविक है[12] किन्तु यह कृत्य ''स्वाभाविक है'' ऐसा मानकर हम इसमें निहित हिंसा व अन्य अमानवीय पक्षों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।

''स्त्रियों की देह पर नियंत्रण करना युद्ध नीति का ही एक हिस्सा होता है जिससे तीन उद्देश्य सधते हैं–पहला, आम नागरिकों में भय का संचार, दूसरा नागरिकों का विस्थापन और तीसरा सैनिकों को बलात्कार की छूट देकर पुरस्कृत करना।[13]

परिवार, बच्चों, मवेशियों और घर की देखभाल की जिम्मेदारी, संवेदनात्मक लगावों के कारण महिलाएँ जल्दी पलायन नहीं कर पातीं। अतः ऐसे संषर्षों में वह सहज ही भेद्य (Vulnerable) हो जाती हैं।

कश्मीर में संघर्ष के प्रारम्भ होने से आज तक महिलाओं के साथ शोषण विशेषकर शारीरिक शोषण की कई घटनाएँ हुई हैं। ऐसा भी नहीं है कि कश्मीर में होने वाले संघर्ष में महिलाएँ ही पीड़ित हैं, पुरूषों की संख्या भी सामान्यतः पीड़ितों में उतनी ही हैं किन्तु दोनों की स्थिति में एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है और वह यह कि जहाँ पुरूष अधिकांशतः इस संघर्ष में मार दिये जाते हैं वहीं महिलाओं को बलात्कार के बाद जिन्दा छोड़ दिया जाता है, और शायद यह इसलिए होता है कि हमारे समाज में महिलाएँ ''सम्मान'' (Honour) का प्रतीक होती हैं। जैसा कि उर्वशी बुटालिया कहती है 'वह महिला ही होती है जो अपने समुदाय के सम्मान को अपने शरीर पर ढ़ोती है। ऐसे में उसके शरीर को चोट पहुंचाकर जो कि अधिकांशतः बलात्कार के रूप में होता है, एक प्रकार की रणनीति होती है दूसरे समुदाय पर आघात करने की'[14] पितृसत्तामक समाज में लज्जा को ही नारी का आभूषण कहा गया है। इसके खंडित होते ही नारी के साथ–साथ परिवार

---

[8] Qutab soudiya,"***Women Victims of Armed conflict: Half-widows in Jammu and Kashmir"***, Indian sociological Society, Vol. 61, No. 2 (May-August 2012), PP-255-278

[9] Qutab soudiya,"***Women Victims of Armed conflict: Half-widows in Jammu and Kashmir"***, Indian sociological Society, Vol. 61, No. 2 (May-August 2012), PP-255-278

[10] Ibid PP- 255-278

[11] Ibid PP- 255-278

[12] Srivastava Garima, "***Deh He Desh: Croasia Pravas Diary"***, Rajpal, 2017, P-10

[13] Ibid P-11

[14] Thakur Seema, "***Women, Peace and Security: Implementation of the UNSCR 1325 in South Asia"***, Regal Publication , 2015 New Delhi, P-147

की भी सामाजिक प्रस्थित शून्य हो जाती है। यही कारण है कि विश्व में जहाँ भी युद्ध अथवा संघर्ष होते हैं वहां बलात्कार एवं नारी के प्रति हिंसक व्यवहार संरचनात्मक हिंसा का अभिन्न अंग होता है, कश्मीर में व्याप्त संघर्ष भी इसका अपवाद नहीं है जहाँ राज्यकर्ता (State Actor) और गैर राज्यीयकर्ता (Non State Actor) दोनों ही अपने हितों को साधने एवं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए 'बलात्कार' को एक उपकरण के रूप में प्रयुक्त करते हैं। ''यह ऐसे घाव होते हैं जो दिखते कम और टीसते ज्यादा हैं। मन और मस्तिष्क दोनों को एक ही वार से घायल करने का सबसे कारगर हथियार, जिससे लगी चोटें इतनी गहरी होती हैं कि शोषित व्यक्ति कभी भी पूरी तरह से उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाता है।''[15]

पीड़ित महिलाएँ शोषण के उपरान्त भी शारीरिक एवं मानसिक दुष्प्रभावों को झेलती हैं। पीड़ित महिला, उसका परिवार विशेषकर उस परिवार के पुरूष सदस्य ''सामूहिक शर्मिंदगी (Collective Shaming) का सामना करते हैं। किसी रूढ़िवादी समाज में स्त्री पर हुए यौन–हिंसा के कृत्य को परिवार व पुरूष की प्रतिष्ठा और उसके पौरूष से जोड़कर देखा जाता हैं। फलस्वरूप महिला के सम्मान को यहाँ के पुरूष नियंत्रित करते हैं जोकि पितृसत्ता को और संकीर्णता की ओर ढकेलती हैं।

''23 फरवरी, 1991 को कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कौनन (Konan) में हुआ सामुहिक बलात्कार जिसमें सुरक्षा बलों की भागीदारी थी, इस बात का उदाहरण है जहाँ आज भी गांव को ''बलत्कृत लड़कियों का गांव'' (Village of Raped Girls) के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई इन गांवों की लड़कियों से विवाह नहीं करना चाहता।''[16]

''हंदवारा (2016), शोपियाँ (2009), हंदवारा (2004), बिहोटा (2001), वावोसा(Wavoosa) (1997), हासन (Hasan) (1992), चकसईदपुरा (Chak Saidpora) (1992), कुनन पशपोरा (Kunan Poshpora) (1991), और चन्नपोरा (Chhanpora) एवं पाजीपोरा (Pazipora) (1990)"[17]

उपरोक्त सभी स्थान व वर्ष इस संदर्भ में उल्लेखित है कि किस प्रकार भारतीय सेना ने सैन्य रणनीति के तहत इन स्थानों पर महिलाओं के विरूद्ध हिंसक यौन व्यवहार तथा बलात्कार जैसे कृत्यों को अंजाम दिया।

कश्मीर के संघर्ष में महिलाओं के विरूद्ध यौन दुर्व्यवहार एवं बलात्कार में केवल राज्यकर्ता ही नहीं गैर–राज्यीयकर्ता भी शामिल हैं।

'1989 में जब कश्मीर संघर्ष में घाटी में कश्मीरी पंड़ितों के विरूद्ध हिंसा जोर पकड़ने लगी तब यह देखा गया है कि इस्लामी आतंकियों द्वारा विशेषरूप से कश्मीरी पंडित समुदाय की महिलाओं का अपहरण, यातना एवं क्रूर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया जा रहा था।'[18]

एक तरफ आतंकवादियों द्वारा बलत्कृत महिलाएँ बहिष्कार को झेलती हैं, 'वहीं इस संदर्भ में एक प्रकार के 'भययुक्त मौन की संहिता' (Code of Silence & Fear) का पालन करते हुए इसकी शिकायत दर्ज कराने से बचती हैं।'[19] इस प्रकार के मामलों में जांच में भी कई व्यवहारिक समस्याएँ सामने आती हैं क्योंकि ज्यादातर कश्मीरी ऐसे मामलों पर बोलने से हिचकते हैं जिसके पीछे की वजह उनका इन आतंकवादियों के प्रति डर होता है।

निष्कर्ष–

प्रस्तुत आलेख में वर्णित महिलाओं की संघर्ष में प्रस्थित से यह स्पष्ट है कि कश्मीर के संघर्ष का सबसे आसान एवं सबसे पीड़ित पक्ष महिलाएँ हैं।

कश्मीर में महिलाओं को संघर्ष के परिणाम दीर्घकाल तक एवं मानव जीवन को प्रभावित करने वाले प्रत्येक क्षेत्र तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक में प्रभावित करते हैं।

घाटी के संघर्ष में महिलाओं के प्रति होने वाली यौन हिंसा में आतंकवादियों के साथ–साथ सुरक्षाबलों की उपस्थिति चिंता का विषय है। क्षेत्र की सुरक्षा के नाम पर सैन्यबल को मिले अधिकारों द्वारा मानव सुरक्षा के नाम पर सैन्य बल को मिले अधिकारों द्वारा मानव सुरक्षा का हन्न एक लोकतांत्रिक देश की गरिमा के अनुकूल नहीं है।

साथ ही इसके एक बात जो ध्यान खींचती है वह यह कि भारतीय सुरक्षाबलों द्वारा मुस्लिम महिलाओं के साथ किये गये यौन हिंसा की घटनाएँ व्यवस्थित रूप में दस्तावेजों में दर्ज हैं किन्तु आतंकियों द्वारा अंजाम दी गई यौन हिंसा पर अब भी कोई व्यवस्थित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं शायद इसके पीछे भययुक्त 'मौन की संहिता' का प्रभाव है जहाँ हिंसा की शिकार महिला अपनी शिकायत दर्ज कराने से डरती हैं। घाटी के संघर्ष में महिलाओं की अवस्था के लिए राज्यकर्ता एवं गैर राज्यीकर्ता दोनों दोषी हैं। किन्तु राज्य पर लगा प्रश्नचिन्ह ज्यादा गम्भीर है क्योंकि राज्य का गठन नागरिकों के लिए हुआ है। राज्य को शक्ति और वैधता इसलिए प्राप्त है क्योंकि वह अपने नागरिकों के प्रति जिम्मेदार एवं उनकी सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध होता है। सरकार द्वारा सुरक्षाबलों को विशेष प्रावधानों द्वारा दी गयी सुरक्षा एवं विशेष सुरक्षा कानूनों विशेषकर अफस्पा (AFSPA) के दुरूपयोग की घटनाएँ सामने आती रहती हैं। यही कारण है कि 'आज यह

---

[15] Srivastava Garima, "***Deh He Desh: Croasia Pravas Diary"***, Rajpal, 2017, P-10

[16] Qutab soudiya,"***Women Victims of Armed conflict: Half-widows in Jammu and Kashmir"***, Indian sociological Society, Vol. 61, No. 2 (May-August 2012), PP-255-278

[17] http://southasiajournal. net/**Conflict-and-women-a-study-of-Kashmir-valley** (acesed on 17.02.2018)

[18] Knuth.Rebeccam, "***Burning Books and leveling libraries : Extremist Violence & Cultural destruction"***, Greenwood Publishing, PP 77-79

[19] Wikipedia.

कानून सभी स्तरों पर बहस का विषय बन चुका है, न केवल जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्व में अपितु पूरे देश में।'[20] इसके अतिरिक्त कश्मीरी समाज के मूल में जो पितृसत्तात्मक सोच है वह भी दोषी है क्योंकि इसी सोच के कारण हिंसा की शिकार महिलाएँ, विधवाएँ आजीवन इसके परिणाम झेलती हैं।

यौन–हिंसा, यौन–दासता, वैश्यावृत्ति, जबरन विवाह, मानव व्यापार यह सब सशस्त्र संघर्ष से ग्रस्त क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति किये जाने वाली हिंसा के प्रकार हैं।

किसी भी क्षेत्र में विशेषतः जहाँ युद्ध अथवा संघर्ष हो उस क्षेत्र की महिलाएँ अपने प्रति होने वाली हिंसा खासकर शारीरिक हिंसा के प्रति भय से युक्त जीवन व्यतीत करती हैं। सुरक्षा के प्रति उनकी चिंता उनकी गतिशीलता को प्रभावित करती है।

लैंगिकता आधारित हिंसा प्राथमिक तौर पर महिलाओं के लिए मानव सुरक्षा सम्बन्धी चिंता है।

लैंगिकता (Gender) भी युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष का एक पक्ष है। एक ऐसा पक्ष जिसकी अधिकांशतः अनदेखी हुई है। क्योंकि महिला, युद्ध एवं सुरक्षा का समीकरण अध्ययन का विषय ही नहीं रहा है। अतः लैंगिकता एवं उसे समझाने की आवश्यकता है।

साथ ही साथ उन कारणों को जांचने एवं उनका परीक्षण करने की आवश्कता है जो कि संघर्ष के दौरान महिलाओं को भेद्य (Vulnerable) बनाती है।

'युद्ध एवं संघर्ष में महिला केन्द्रित विवरण की अनुपस्थिति कुछ विद्वानों को 'युद्ध लैंगिकता से मुक्त' (Was is gender free) बताने के लिए प्रेरित करती है।'[21] नारीवादी चिंतक युद्ध सम्बन्धी संकीर्ण एवं एकपक्षीय सिद्धान्तों को चुनौती देते हैं साथ ही इस बात पर जोर देते हैं कि सुरक्षा, उसका समाधान एवं शान्ति निर्माण की प्रक्रिया को ''लैंगिकता के नजरिए'' (Gender Perspective) से जानने एवं समझने की भी आवश्यकता है।

इस क्रम में 31 अक्टूबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा स्वीकार किये गये महिला, शान्ति एवं सुरक्षा सम्बन्धी संकल्प 1325 (S/RES/1325) का उल्लेख आवश्यक है। जिसमें संघर्ष से सुरक्षा एवं संघर्ष के समाधान, शान्तिवार्ता (Peace Negotiotiations, Peace-building, peacekeeping) एवं संघर्ष के बाद पुनर्निर्माण में महिलाओं की समान भागीदारी एवं पूर्ण सक्रिय भागीदारी सभी स्तरों पर शान्ति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने एवं बनाए रखने में करनी है।

सुरक्षाबलों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर ''बलात्कार को रणनीति'' के रूप में प्रयोग की सोच से बचा जा सकता है क्योंकि सुरक्षाबलों में महिलाओं की भागीदारी सुरक्षाबलों द्वारा निर्मित रणनीति में लैंगिकता के दृष्टिकोण को ज्यादा स्पष्ट तौर पर रख सकती हैं।

'चूंकि संघर्ष के दौरान राज्य की भूमिका सुरक्षात्मक नीतियों एवं रणनीतिक उपायों का केन्द्रीय मुद्दा होती हैं।'[22] ऐसे में संघर्ष में महिलाओं एवं उनके मानवधिकारों की सहज ही अनदेखी होती है। इसलिए वर्तमान समय में आवश्यकता इस बात की है कि राज्य की सुरक्षा नीतियों एवं मानव सुरक्षा में सामंजस्य तथा संतुलन के द्वारा रणनीतिक एवं सुरक्षात्मक उपायों को मानवीय स्वरूप प्रदान किया जाये।

इसके अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में रणनीतिक स्तरों पर समान भागीदारी को प्रोत्साहन देकर न केवल महिलाओं के प्रति होने वाले संरचनात्मक हिंसा को रोकने में सफलता मिलेगी बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से सकारात्मक होने के साथ–साथ घाटी में व्याप्त संघर्ष के क्षेत्र एवं उसके स्वरूप को प्रभावी तौर पर सीमित करने में सहायक सिद्ध होंगे।

संदर्भ सूची (Bibilography)

- Butalia Urvashi (E.d.), **" *Speaking Peace : Women's Voices From Kashmir*"**, Kali for Women, New Delhi, 2002.
- Hans Asha, Rajagopalan Swarna (E.d.), ***"Openings for Peace : UNSCR 1325 Women and Security In India"***, Sage Puliccation, New Delhi, 2016.
- Manchanda Rita (Ed.), ***" Women And Politics of Peace: South Asia Narreatives On Militarization, Power, and Justice",*** Sage Publication, New Delhi, 2017.
- Murthy Laxmi, and Varma Mitu (Ed.), ***"Garrisoned Minds: Women and Armed Conflict in South Asia"*** Speaking Tiger Books, Delhi, 2016.
- Shekhawat Seema, ***"Gender, Conflict and Peace in Kashmir: Invisible Stakeholders"***, Cambridge University Press, Delhi, 2014.
- Sjoberg Laura & Gentry E. Caron (Ed.), ***"Women, Gender and Terrorism"***, The University of Georgia Press, Georgia, 2011.

[20] Hans Asha, Rajagopalan Swarna (E.d.), "***Openings for Peace, UNSCR 1325: Women and Security In India"***, Sage Publication, New Delhi, 2016, P-119

[21] Ibid P-7

[22] Hans Asha, Rajagopalan Swarna, (E.d.) "***Openings for Peace, UNSCR 1325: Women and Security In India"***, Sage Publication, New Delhi, 2016, P-88

- Srivastva Garima, ***"Deh He Desh: Croasia Pravas Diary"***, Rajpal, New Delhi, 2017.
- Thakur. Dr. Seema, ***"Women, Peace and Security: Implementation of the UNSCR 1325 in South Asia"***, Regal Publication, New Dehli, 2015.